

सं.ई-25013/2/2020-हिंदी/ 530

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
हिंदी अनुभाग

तृतीय तल, नवीन पुस्तकालय भवन,
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -110066
दिनांक: | अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023-2024

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी डिक्टेशन योजना केंद्रीय जल आयोग, (मुख्यालय) में लागू की गई है। संघ की राजभाषा हिन्दी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जो वर्ष में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में देते हैं। इस योजना के अंतर्गत 02 पुरस्कार, रखे गए हैं- एक हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए तथा एक हिन्दीतर भाषी अधिकारी के लिए। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सुविधा उपलब्ध है और जो सामान्यतया डिक्टेशन देते हैं, शामिल हो सकते हैं।

योजना की अवधि वित्तीय वर्ष (01.04.2023 से 31.03.2024) रखी गई है। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिन्दी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अपना रिकार्ड रखेंगे जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होगा तथा दी गई डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी जाएंगी। यह रिकार्ड उनके स्टैनो, निजी सचिव भी रख सकते हैं। उनके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

अतः केंद्रीय जल आयोग, (मुख्यालय) में कार्यरत वे अधिकारी, जो वर्ष 2023-2024 के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं, कृपया अपने कार्य का विवरण 10 जून, 2024 तक हिंदी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को hindisec-cwc@gov.in पर भिजवा दें।


16/4/2024
(रजिन्दर पाल)

उपनिदेशक (रा.भा.)

बीपीएल: 3720

सेवा में,

1. सभी समन्वय/निदेशालय/अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध),
केंद्रीय जल आयोग।
3. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

नामांकन प्रपत्र

नाम	:	
पदनाम	:	
निदेशालय/अनुभाग/एकक	:	
इंटरकाम एवं दूरभाष संख्या	:	
कमरा संख्या	:	
हिंदी भाषी/हिंदीतर भाषी	:	

हस्ताक्षर

- | क्र.सं. | दिनांक | डिक्टेशन लिए गए शब्दों की संख्या | फाइल संख्या | टिप्पणी |
|---------|--------|----------------------------------|-------------|---------|
| | | | | |

हस्ताक्षर